

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- श्री इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या- 83/2013

बउनवान

राजस्थान सरकार जय्ये पंचायत प्रसार अधिकारी जिला परिषद, बारां
जिला-बारां

(निगराकार)

बनाम

- 1- हेमराज पुत्र कॅवरलाल जाति-कोली निवासी-किशनगंज तहसील-
किशनगंज पोस्ट किशनगंज जिला-बारां (मृतक)
- 1/1-श्री नीरजकुमार पुत्र हेमराज जाति-कोली नि.किशनगंज
- 1/2-श्री गिरीश पुत्र हेमराज जाति-कोली नि.किशनगंज

- 2- ग्राम पंचायत किशनगंज जय्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव,
पंचायत समिति किशनगंज जिला-बारां

(गैर निगराकारान्)

निगरानी अन्तर्गत धारा- 92, 97 राजस्थान पंचायती-राज अधिनियम,1994

उपस्थिति :-1. श्री रूपचंद सिंघावत, अभिभाषक (निगराकार)

2. श्री सूर्यप्रकाश नागर, अभिभाषक (गैर निगराकार कम-1)

निर्णय दिनांक- 09.10.2019

1- निगराकार ने विरुद्ध गैर निगराकारान् निगरानी अन्तर्गत धारा-92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अंकित किया है कि गैर निगराकारान् के पिता को ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा आबादी भूमि में पैमाइशी **23 x 14= 322 वर्गफीट का पट्टा संख्या-09 दिनांक 05.06.2003** को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही रजिस्टर के प्रस्ताव में गैर निगराकार का नाम अंकित किया है, जबकि नियमानुसार कार्यवाही बैठक में पट्टा आवेदनकर्ता के बाबत उल्लेख होना व प्रस्ताव लिया जाना चाहिये था। ग्राम पंचायत द्वारा गैर निरनिगराकार से प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं किया गया है। पट्टा जारी करने के पूर्व आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर पट्टाधारी व्यक्ति को उचित दर पर पट्टा जारी किया जाना चाहिये था। परन्तु पंचायत द्वारा जारी पट्टे के बाबत कार्यवाही नियमानुसार नहीं की गयी है, इसलिये पट्टा सर्वथा निरस्तनीय है।

2- गैरनिगराकार कम-2 ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व गैर निगराकार पट्टाधारी के पिता से नियमन पेटे राशि जमा नहीं कराई है ना ही मौका निरीक्षण के लिये ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित प्रारूप संख्या-21 में रजिस्टर का संधारण किया गया है। जबकि पट्टाधारी के नाम ग्राम किशनगंज में अन्य स्थान पर आवासीय मकान स्थित है। इस प्रकार पंचायत द्वारा नियमों की अनदेखी करके पट्टा जारी किया

गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व आबादी भूमि विक्रय हेतु प्रारूप संख्या-22 में आपत्तियाँ प्राप्त नहीं की गई हैं, ना ही नीलाम समिति का गठन किया गया है, नीलाम समिति द्वारा आबादी भूमि का नीलाम किया गया है जो पंचायती राज अधिनियम-1994 के नियम-157 के विरुद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा कथित रूप से गैर निगराकार क्रम-1/1 से 1/4 के पिता को जारी पट्टे में नियम-154 के तहत बाजार कीमत का ध्यान नहीं रखा गया है। पंचायत द्वारा उक्त भूमि का पट्टा 200/-रूपये प्रति पट्टा प्राप्त कर, तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किया गया है। पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 156(1) नियम 156(2) तक तहत जारी किये गये आवासीय भूमि के पट्टों की न्यूनतम कीमत राशि प्राप्त करके सरपंच द्वारा पट्टा जारी किया गया है।

3- इस पट्टे की जाँच स्थानीय ऑडिट अंकेक्षण निधि विभाग, कोटा के ऑडिट वर्ष 2003-04 के पेरा संख्या-7 में अंकित है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे की कुल राशि 13,524/- रूपये होती है। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा 200/-रूपये में पट्टा जारी किया गया है। जबकि 10 हजार से 50 हजार एवं 50 हजार से 1 लाख तक की राशि की स्वीकृति जिला परिषद, बारां से प्राप्त की जानी चाहिये थी। पंचायत द्वारा पट्टा नियमों के प्रतिकूल जारी किया गया है, जो निरस्तनीय है। साथ ही अंकित किया है कि अधिनियम के नियम-167 के अन्तर्गत जारी पट्टों पर नियमानुसार सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर होना चाहिये। जबकि गैर निग. क्रम-1 के हक में जारी पट्टे पर केवल तत्कालीन सरपंच के हस्ताक्षर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा मनमाने तरीके से अपने चहेतो को अनुचित लाभ पहुँचाने की नियत से गैरकानूनी तरीके से राजकोष को नुकसान पहुँचाया गया है। अतः जारी पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैरनिगराकार क्रम-1 के पिता को जारी पट्टा संख्या-09 दिनांक 05.06.2003 निरस्त फरमाया जावे।

4- इस पर निगरानी दर्ज रजिस्टर की गयी। गैर निगराकारान् को जर्ज सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक निगराकार व गैर निगराकार क्रम-1/1 ता 1/2 की बहस सुनी गयी।

5- बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत किशनगंज द्वारा गैर निगराकारान् के पिता को नियमों एवं कानूनी प्रावधानों एवं प्रक्रिया के विपरीत जाकर, गैर निग. को ग्राम किशनगंज में आबादी भूमि पैमाइशी 23 x 14= 322 वर्गफीट का पट्टा संख्या-09 दिनांक 05.06.2003 जारी किया गया है। पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो आबादी भूमि विक्रय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की गयी, ना ही विकास अधिकारी या जिला परिषद, बारां से आज्ञा प्राप्त की गयी है। पंचायत द्वारा ना तो निर्धारित प्रारूप संख्या-21 में पट्टा रजिस्टर संधारित किया। ना ही यह जाँच की कि पट्टाधारी ग्राम किशनगंज में निवास करता है या अन्य स्थान का बिना जाँच पडताल किये ही पट्टा जारी किया गया है। पंचायत द्वारा कथित पट्टा मात्र 200/-रूपये प्रति पट्टा राशि प्राप्त कर जारी किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ना तो कमेटी तैयार की गयी, ना ही

अनुशंषा ली गयी। बिना कोरम की अनुमति के हीं चुपचाप तरीके से अपने चहेतो व्यक्तियों को अनुमति लाभ प्रदान करने की नियत से 200/- रूपये राशि में हीं पट्टा जारी किया गया है। जबकि उक्त भूमि पैमाइशी **23 x 14= 322 वर्गफीट** के तत्समय बाजार मुल्यांकित कीमत **13,524/-** बनती है। इस प्रकार तत्कालीन सरपंच द्वारा गैर निग. के पिता को उक्त पट्टा जारी कर राज पक्ष को काफी राजस्व हानि पहुँचायी गयी है। सरपंच द्वारा उक्त कार्यवाही अनुचित तरीके की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे पर नियमानुसार सरपंच एवं ग्राम सचिव दोनो के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। किन्तु उक्त पट्टे में ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टा प्रारम्भतः हीं शून्य की श्रेणी मे आता है।

6- पंचायत समिति, किशनगंज की स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा आडिट की गयी थी। जिसमें आडिट वर्ष 2003-04 के पेरा-9 में आक्षेपित किया गया है कि पट्टाधारी से उक्त बकाया राशि वसूली की जावे। यदि राशि वसूली नहीं हो तो उक्त पट्टे निरस्त किये जावे। पंचायत समिति, किशनगंज के स्तर से बकाया राशि वसूली के काफी प्रयास किये गये, किन्तु असफल रहे है। अतः गैर निगराकार के विरुद्ध उक्त पट्टा संख्या पैमाइशी **23 x 14= 322 वर्गफीट का पट्टा संख्या-09 दिनांक 05.06.2003** विधि के प्रावधानों व नियमों के प्रतिकूल होने से पट्टा निरस्त किये जाने हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। अतः निगरानी स्वीकार कर, गैर निगराकारान् के पिता को जारी पट्टा दिनांक 05.06.2013 निरस्त फरमाया जावे।

7- इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक गैर निगराकारान् ने निगराकार अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा वर्ष-2003 में आबादी भूमि पर नियमानुसार सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर, आवासहीन व्यक्तियों को नियमानुसार राशि जमा कराकर, विधिवत पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे जारी करने में तत्कालीन सरपंच द्वारा कोई नियमों की अवहेलना नहीं की गयी है। पट्टा नियमित प्रक्रिया अनुसार हीं जारी किया गया है। निगराकार के यह कथन उचित नहीं है कि पट्टे पर सरपंच के हीं हस्ताक्षर है। सहवन से सचिव के हस्ताक्षर नहीं होने से यह नहीं माना जा सकता है कि उक्त पट्टा वैध नहीं है। निग. का यह कथन भी उचित नहीं है कि पट्टाधारी के ग्राम किशनगंज में अन्य आवासीय मकान है या मूल रूप से किशनगंज का निवासी नहीं है। उक्त पट्टा वर्ष 2003 में तत्समय जारी किया गया था। अन्य आवासीय मकान बाद में भी बनाये जा सकते है। ऐसे आधारहीन तर्कों एवं ऑडिट पेरा रिपोर्ट के आधार पर गैर निगराकारान् का पट्टा खारिज नहीं किया जा सकता। पट्टा यदि अवैध या अमान्य है तो उसके संबंध में पंचायत समिति के स्तर से समिति का गठन कर, पट्टे की विधिक जाँच कराया जाना चाहिये। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पट्टा निरस्त किया जाना कानूनी प्रावधानों एवं व्यवहारिक प्रक्रिया के विपरीत है। अतः निगरानी कानूनी प्रावधानों के विपरीत एवं आधारहीन होने से निरस्त फरमायी जावे।

8- हमने विद्वान अभिभाषक निगराकार एवं गैर निगराकारान् की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत, किशनगंज के तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.

06.2003 को गैर निगराकारान् के पिता को आबादी भूमि पर पैमाइशी **23 x 14= 322 वर्गफीट का पट्टा संख्या-09 दिनांक 05.06.2003** को जारी किया गया है, जिसे आडिट अंकेक्षण वर्ष, 2003-04 रिपोर्ट पेरा-9 से आक्षेपित किये जाने पर, निगराकार द्वारा गैर निगराकारान् के विरुद्ध राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानो के तहत पट्टा निरस्तीकरण हेतु निगरानी प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि तत्कालीन सरपंच द्वारा दिनांक 05.06.2003 को आबादी भूमि आरक्षित किये बिना, बिना सार्वजनिक उद्घोषणा जारी किये, मात्र आरक्षित न्यूनतम दर 200/-रूपये नियत करके, गैर निगराकारान् के पिता को पैमाइशी **23 x 14= 322 वर्गफीट का पट्टा संख्या-09 दिनांक 05.06.2003** जारी किया गया है। उक्त पट्टे का ना तो विधिवत रेकार्ड संधारित किया गया है, ना ही उक्त पट्टे पर ग्राम सचिव, किशनगंज के हस्ताक्षर मौजूद है। इससे स्पष्ट होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुये, अपने चहेते व्यक्तियों को अवैध रूप से पट्टा जारी किया गया है, जो कानूनी प्रावधानों एवं नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

9- परिणामस्वरूप, निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, गैर निगराकारान् के पिता को तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत, किशनगंज द्वारा जारी आवासीय पट्टा पैमाइशी **23 x 14= 322 वर्गफीट का पट्टा संख्या-09 दिनांक 05.06.2003** तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां

